न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र मगनलाल जी, जाति– रावल, निवासी– रेवदर, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1.ग्राम पंचायत, रेवदर जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, रेवदर, तह. रेवदर, जिला–सिरोही
2.ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, रेवदर

पंचायत निगरानी संख्याः 01/2022

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा, अप्रार्थीगण की ओर से

–: **निर्णय** :–

दिनांक 21 जुलाई, 2022

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी राजेन्द्र कुमार पुत्र मगनलाल जी, जाति– रावल, निवासी– रेवदर की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, रेवदर द्वारा प्रार्थी राजेन्द्र कुमार के विरुद्ध जारी नोटिस क्रमांकःग्रा.पं. रेवदर/2021/499 दिनांक 06.1.2022 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया।

(3) बहस के दौरान प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम रेवदर में तहसील कार्यालय, रेवदर के बाहर मुख्य दरवाजे के पास स्थित प्याऊ तथा विश्रामगृह ग्राम रेवदर के खसरा संख्या 981 की भूमि पर बने हुए है, जिसके संचालन का कार्य प्रार्थी निगरानीकर्ता के पिता मगनलाल वर्ष 1999 से लगातार ग्राम पंचायत की सहमति से करते आ रहे है, उक्त प्याऊ तथा विश्रामगृह का तमाम खर्चा प्रार्थी के पिता मगनलालजी रावल वहन करते आ रहे है, ग्राम पंचायत ने श्री मगनलाल रावल को कोई नोटिस नहीं देकर प्रार्थी के विरुद्ध प्रश्नगत नोटिस दिनांक 06.1.2022 को प्रेषित कर प्रार्थी को उक्त प्याऊ तथा विश्रामगृह से बेदखल करने का आदेश जारी किया गया है, जो सर्वथा गलत व विधि विरुद्ध है। ग्राम पंचायत की जानकारी में उक्त प्याऊ तथा विश्रामगृह का संचालन प्रार्थी के पिता मगनलालजी कर रहे है तथा ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में अनापत्ति प्रमाण पत्र भी मगनलालजी को प्रदान किया गया है एवं बिजली तथा पानी का कनेक्शन भी जनहित में मगनलालजी के नाम से लिए गए है लेकिन ग्राम पंचायत ने उक्त आदेश प्रार्थी के नाम से जारी किया गया है, जो प्रथम दृष्टया ही गलत व विधि विरुद्ध होने से अपास्त किए जाने योग्य है।. ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को गलत तथ्यों के आधार पर नोटिस प्रेषित किया गया है। ग्राम रेवदर में तहसील कार्यालय, रेवदर के बाहर मुख्य दरवाजे के पास स्थित प्याऊ तथा विश्रामगृह ग्राम रेवदर के खसरा संख्या 981 की भूमि पर बने हुए है, उक्त खसरा संख्या 981 की भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते में दर्ज है। उक्त भूमि ग्राम पंचायत के स्वामित्व की नहीं होकर सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि है, जिसके सम्बंध में ग्राम पंचायत को

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:52:56 IST
Reason: SelfAttested

......पेज दो पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का या उक्त परिसर से बेदखल करने का आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त सम्पत्ति ग्राम पंचायत के स्वामित्व की सम्पत्ति नहीं है, राजस्व रेकर्ड के अनुसार उक्त सम्पत्ति का स्वामित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग में निहित है। उक्त सम्पत्ति रेकर्ड में ग्राम पंचायत, रेवदर के नाम से दर्ज नहीं है। राजस्थान ग्राम पंचायत नियम 1996 के नियम 140 में आबादी भूमि की व्याख्या की गई है। किसी अन्य विभाग के नाम दर्ज / आबंटित भूमि पर ग्राम पंचायत की अधिकारिता नहीं है। जिससे आदेश कानूनन अवैद्य तथा शून्य होने से निरस्त किए जाने योग्य है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर उक्त प्याउ व विश्राम गृह का निर्माण वर्ष 1996 में संघवी भैरमल हकमाजी चेरीटेबल ट्रस्ट, मालगॉव द्वारा करवाया गया था, उसके बाद वर्ष 1999 में संघवी भैरमल हकमाजी चेरीटेबल ट्रस्ट, मालगाँव द्वारा उक्त प्याऊ तथा विश्रामगृह के संचालन हेतु प्रार्थी के पिता श्री मगनलाल पुत्र देवीचंदजी रावल निवासी रेवदर को ग्राम पंचायत की सहमति से सुपुर्द किया गया था। प्रार्थी के पिता श्री मगनलालजी रावल ने उक्त प्याऊ तथा विश्रामगृह का संचालन करना वर्ष 1999 में प्रारम्भ किया था। प्रार्थी के पिता श्री मगनलालजी ने जन हितार्थ व सेवार्थ कार्य हेतु उक्त प्याऊ में पानी कनेक्शन लेने हेतु आवेदन किया, जिस पर अप्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 13.08.1999 को प्रार्थी के पिता के हक में अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया गया था, जिसके आधार पर प्रार्थी के पिता के नाम से उक्त प्याऊ में नल कनेक्शन वर्ष 1999 में अपने स्वयं के खर्चे से लिया गया जो आज तक यथावत चला आ रहा है। पानी बिल का भुगतान प्रार्थी के पिता द्वारा वहन किया जा रहा है। उक्त प्याऊ तथा विश्रामगृह में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं होने से प्रार्थी के पिता श्री मगनलालजी ने जन हितार्थ व सेवार्थ कार्य हेतु उक्त प्याऊ व विश्राम गृह में विद्युत कनेक्शन लेने हेतु आवेदन किया, जिस पर अप्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25.03.2003 को प्रार्थी के पिता के हक में अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया गया था, जिसके आधार पर प्रार्थी के पिता के नाम से उक्त प्याऊ व विश्राम गृह में विद्युत कनेक्शन वर्ष 1999 में अपने स्वयं के खर्चे से लिया गया जो आज तक यथावत चला आ रहा है। विद्युत बिल का भुगतान प्रार्थी के पिता द्वारा वहन किया जा रहा है। उक्त प्याऊ तथा विश्रामगृह का संचालन जन हितार्थ व सेवार्थ प्रार्थी के पिता मगनलालजी रावल द्वारा किया जा रहा है, जिसका सम्पूर्ण व्यय प्रार्थी के पिता द्वारा आज तक वहन किया जा रहा है। उक्त प्याउ में प्रार्थी एवं उसके पिता जी द्वारा आम जन के पेयजल की व्यवस्था हेतु टैंकरों के माध्यम से भी पानी डलवाया जा रहा है। उक्त भवन का मेन्टेनेंस जैसे मरम्मत, साफ सफाई, रंग रोगन आदि भी वर्ष 1999 से प्रार्थी के पिता मगनलालजी करवाते आ रहे है, जिसका समस्त व्यय भी उनके द्वारा ही वहन किया जा रहा है। यह कि प्याऊ तथा विश्रामगृह का संचालन वर्ष 1999 से आज तक लगातार हो रहा है, जिससे काफी लोग लाभान्वित हो रहे है तथा उक्त कार्य प्रार्थी के पिता द्वारा किया जा रहा है तथा सहयोग हम परिवार के व्यक्तियों द्वारा भी किया जा रहा है। उक्त संचालन के कार्य एवज में प्रार्थी के पिता द्वारा उक्त भवन में दस्तावेज लेखन का कार्य भी किया जा रहा है, जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण होता है। उक्त कार्य व्यवसायिक गतिविधियों की श्रेणी में नहीं आता है। हमारे कार्य से प्याऊ तथा विश्रामगृह के उपयोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। यह कि ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में भी प्रार्थी [illegible]लालजी तथा प्रार्थी को पुर्व में भी उपरोक्त प्रकार का नोटिस प्रेषित कि[illegible]सका विधिक जवाब प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 07.10.2016 को [illegible]लावा प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 26.09.2016 को [illegible] धारा 109 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के [illegible]का कोई जवाब ग्राम पंचायत द्वारा नहीं दिया गया था। प्रार्थी द्वारा प्रेषित नोटिस[illegible] जवाब को स्वीकार कर ग्राम पंचायत द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:52:56 IST
Reason: SelfAttested

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

प्रार्थी व उसके पिता को प्रेषित नोटिस को निरस्त कर दिया गया था. फिर भी आदेश जारी किया गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। अप्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत, रेवदर की बैठक में संकल्प/प्रस्ताव पारित किये बिना ही प्रार्थी को नोटिस जारी किया है, जो विधि में परिपोषणीय नही है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत नोटिस दिनांक 06.1.2022 को निरस्त किया जावे। जबकि बहस के दौरान अप्रार्थीगण के विद्वान ने अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त कि प्याऊ एव विश्राम गृह ग्राम पंचायत रेवदर की भूमि पर बने हुये है। श्री मगनलाल रावल ने कभी भी प्याऊ का संचालन एव विश्राम गृह का संचालन नहीं किया है, वरन प्रार्थी तथा प्रार्थी के पिता प्रश्नगत प्याऊ एवं प्रश्नगत विश्राम गृह का उपयोग वाणिज्यक प्रयोजनार्थ स्वयं की आय उपार्जन के लिये करते आ रहे है। प्रार्थी को उक्त प्याऊ एव विश्राम गृह का कब्जा धारण रखने का विधि में कोई अधिकार नही है। उक्त प्याऊ एव विश्राम गृह, ग्रांम पंचायत रेवदर के स्वामित्व की सम्पति है। ग्राम पंचायत रेवदर ने दिनांक 6.1.2022 को वैध रूप से नोटिस प्रेषित किया है। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत के स्वामित्व की सम्पति पर अवैध कब्जा कर रखा है। जिसे हटवाने का अधिकार ग्राम पचायत रेवदर को है। ग्राम पंचायत रेवदर ने दिनांक 6.1.2022 के आदेश से पूर्व प्रार्थी को दिनांक 29.12.2021 को नोटिस प्रेषित किया था। जिसका सर्वथा ग़लत जवाब प्रार्थी द्वारा दिया गया। उक्त सम्पति में प्रार्थी के किसी प्रकार के मालिकाना हक अधिकार निहीत नहीं हुये है। प्रार्थी के पिता मगनलाल जी द्वारा उक्त प्याउ व विश्राम गृह का संचालन नही किया गया है, बल्कि मगनलाल जी द्वारा प्याउ व विश्राम गृह का उपयोग निजी हित व व्यवसायिक गतिविधियों हेतु किया जा रहा है। जिस भूमि पर प्याऊ व विश्राम गृह बने हुये है वह भूमि रास्ते की भूमि कभी भी नही रही है। प्रार्थी ने सार्वजनिक उपयोग की सम्पति पर अतिक्रमण किया है। प्रार्थी के पिता द्वारा स्वयं के नाम से पानी व बिजली के कनेक्शन लिये जाने के आधार पर प्रार्थी व प्रार्थी के पिता को उक्त प्याउ व विश्राम गृह पर किसी भी प्रकार के मालिकाना हक प्राप्त नही होते है। यह कि प्याऊ एव विश्राम गृह का निर्माण ग्राम पंचायत रेवदर ने प्रशासनिक, वित्तीय एव तकनिकी स्वीकृती प्राप्त कर करवाया है। प्रार्थी से ग्राम पंचायत, रेवदर प्रश्नगत सम्पति का कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रार्थी ने सार्वजनिक सम्पति पर अतिक्रमण कर गम्भीर अपराध किया है। प्राथी के विरुद्ध ग्राम पंचायत रेवदर द्वारा जारी किया गया नोटिस दिनांक 6.1.2022 किसी भी रूप से विधि विरुद्ध नही है। प्रश्नगत सम्पति ग्राम पंचायत के स्वामित्व की सम्पति है। उक्त सम्पति का निर्माण अर्थात यात्री प्रतिक्षालय एव प्याऊ का निर्माण ग्राम पंचायत रेवदर द्वारा अपना गाव अपना काम योजना के अन्तर्गत करवाया गया है। उक्त निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जिला ग्रामीण विकास अधिकरण सिरोही द्वारा दिनांक 8.9.95 को जारी की गई है। उक्त निर्माण कार्य की तकनिकी स्वीकृति सहायक अभियन्ता जवाहर रोजगार योजना, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण सिरोही, द्वारा दिनांक 8.9.95 को जारी की गई है। उक्त सम्पति के निर्माण की लागत का ऐस्टीमेट पंचायत समिति रेवदर द्वारा सहायक अभियन्ता जवाहर रोजगार योजना, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण सिरोही द्वारा तैयार करवाया गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति रेवदर ने ग्राम पंचायत रेवदर को उक्त निर्माण कार्य को शुरु करने का आदेश दिनांक 14.9.95 को दिया है। उक्त निर्माण [illegible] जो निर्माण सामग्री ग्राम पंचायत रेवदर द्वारा कय की गई एवं उसका [illegible] रेवदर द्वारा किया गया है। उनके बिल एंव वाउचर की प्रतियां [illegible] गई है। उक्त निर्माण कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र कनिष्ठ [illegible] रेवदर, विकास अधिकारी रेवदर एव सरपचं ग्राम पंचायत रेवदर द्वारा जारी किया [illegible] है। उक्त निर्माण कार्य दिनांक 15.1.96 को पुरा हुआ है। प्रश्नगत सम्पति का निर्माण ग्राम पंचायत रेवदर द्वारा करवाया गया है।

....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:52:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रश्नगत निर्माण कार्य ग्राम पंचायत रेवदर की आबादी भूमि में हुआ है। उक्त सम्पति से सार्वजनिक निर्माण विभाग का कभी कोई लेना देना नही रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कभी भी उक्त सम्पति उनके विभाग की सम्पति होना नही दर्शाया है। प्रार्थी ग्राम पंचायत की उक्त सम्पति का दुरुपयोग कर उक्त सम्पति से अवैध रुप से आय अर्जित कर रहा है। प्राथी ने उक्त परिसर में जेरोक्स मशीन, रंगीन प्रिंटिंग कम्प्युटर रखे है। प्रार्थी उक्त सम्पति मे स्टाम्प विक्रेता एव दस्तावेज लेखन का कार्य अवैध रुप से कर रहा है एव करवा रहा है जबकि उक्त सम्पति ग्राम पंचायत रेवदर का सार्वजनिक विश्राम गृह एवं प्याऊ है। प्रार्थी द्वारा उक्त सम्पति पर व्यवसायिक गतिविधिया प्रारम्भ किये जाने के कारण एवं उक्त सम्पति पर अवैध कब्जा धारण किये जाने के कारण उक्त सम्पति का उपयोग व उपभोग विश्राम गृह एवं प्याऊ के रुप मे नही हो रहा है। प्रश्नगत सम्पति संघवी भैरमल हकमाजी चेरिटेबल ट्रस्ट मालंगाव की सम्पति नही है वरन उक्त सम्पति ग्राम पचायत रेवदर की सम्पति है। उक्त सम्पति से संघवी भैरमल हकमाजी चेरिटेबल ट्रस्ट मालगाव का कोई लेना देना नहीं है। संघवी भैरमल हकमाजी चेरिटेबल ट्रस्ट मालगाव को उक्त सम्पति को मगनलाल रावल को सूपूर्द करने का कोई अधिकार नही है। प्रश्नगत सम्पति ग्राम पंचायत रेवदर की सार्वजनिक उपयोग की सम्पति है जिस पर प्रार्थी को अवैध रुप से कब्जा कर व्यवसायिक गतिविधियाँ प्रारम्भ करने का कोई अधिकार नही है। यह कि तथाकथित अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत रेवदर द्वारा जारी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत रेवदर के रेकार्ड में ऐसा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का कोई विवरण कही पर भी अंकित नहीं है। तथाकथित अनापत्ति प्रमाण पत्र फर्जी व कुटरचित है। प्रार्थी स्वयं अपने हित में एवं स्वयं के उपयोग के लिये बिजली का उपयोग कर रहा है। प्रार्थी द्वारा अवैध रुप से प्रश्नगत सम्पति पर कब्जा कर दस्तावेज लेखन, फोटो कोपी करने का कार्य जा रही है व अन्य व्यवसायिक गतिविधियों की एंव करवाई जा रही है। प्रार्थी उक्त परिसर से व्यवसायिक लाभ प्राप्त कर रहा है। प्रश्नगत सम्पति का उपयोग कभी भी विश्राम गृह के रुप में नही किया गया है। जिस हेतु अप्रार्थी ने प्रार्थी को वैध रुप से दिनांक 6.1.2022 को नोटिस जारी किया है। सार्वजनिक सम्पति पर प्रार्थी को कब्जा धारण रखने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थी येनकेन प्रकार से प्रश्नगत सम्पति पर अवैध रुप से कब्जा धारण रखने हेतु प्रयत्नशील रहा है। प्रार्थी की यह निगरानी विधि में परिपोषणीय नहीं है। धारा 97 राजस्थान पचायती राज अधिनियम के प्रावधान उक्त प्रकरण पर लागु नही होते है। प्रार्थी का प्रश्नगत सम्पति मे किसी भी प्रकार का कोई मालिकाना हक अधिकार नही है। प्रश्नगत सम्पति ग्राम पंचायत रेवदर के स्वामित्व की सम्पति है। उक्त सम्पति का निर्माण ग्रामं पचायंत रेवदर द्वारा विधि अनुसार करवाया गया है। ग्राम पंचायत रेवदर को प्रश्नगत सम्पति का कब्जा प्रार्थी से प्राप्त करने का अधिकार है। जिस हेतु अप्रार्थी ग्राम पंचायत रेवदर ने प्रार्थी को वैध रुप से नोटिस प्रेषित किया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, रेवदर द्वारा प्रार्थी राजेन्द्र कुमार पुत्र मगनलाल जी, जाति– रावल, निवासी– रेवदर के विरुद्ध नोटिस क्रमांकःग्रा.प.रेवदर/2021/499 दिनांक 06.1.2022 [illegible] किया गया है कि ग्राम पंचायत, रेवदर द्वारा पत्र क्रमांक/ग्रापरे/2021–[illegible]497 [illegible]नांक 29.12.2021 को नोटिस जारी कर निर्देशित किया ग[illegible] प्याऊ एवं यात्री प्रतीक्षालय में किये गये अवैध [illegible] पंचायत मे रिपोर्ट करे, लेकिन आप द्वारा नोटिस को नजर [illegible] करते हुए दिनांक 06.1.2022 को अधिवक्ता के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया जिसमें ऐसे कोई [illegible] पेश नही हुए जिसमें आपका उक्त सम्पति

....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:52:56 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

के स्वामित्व का आधर हो, अतः तीन दिन में सरकारी भवन पर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटा देवे, अन्यथा ग्राम पंचायत द्वारा आपके किये गये कब्जे मय सामग्री को जब्त कर बेदखल किया जायेगा।

प्रार्थी पक्ष द्वारा निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों की छाया प्रतियों के अवलोकन से यह पाया गया कि प्रार्थी के पिता श्री मगनलाल रावल द्वारा उक्त प्याउ में विद्युत कनेक्शन व जल कनेक्शन लिया हुआ है। प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज भू अभिलेख निरीक्षक, रेवदर की रिपोर्ट दिनांक 17.3.2016 जो तहसीलदार, रेवदर के पत्र क्रमांक/राजस्व/2016/292 दिनांक 11.2.2016 के सन्दर्भ में तहसीलदार, रेवदर को प्रस्तुत की गई है में यह अंकित किया हुआ है कि तहसील के मुख्य द्वार पर स्थित प्याउ ग्राम रेवदर के खसरा संख्या 961 में स्थित है जिसकी किस्म सडक है जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि है व इसके आस पास लगती हुई दुकाने ग्राम पंचायत ने बनाई है। इस प्याउ का निर्माण मालगांव निवासी संघवी भेरुमल हकमाजी चेरीटेबल ट्रस्ट द्वारा कराया गया एवं ग्राम पंचायत, रेवदर को सुपर्द किया गया था। भू अभिलेख निरीक्षक, रेवदर की उक्त रिपोर्ट दिनांक 17.3.2016 में यह भी अंकित किया हुआ है कि वर्तमान में श्री नवीन कुमार एवं राजुभाई इसमें दस्तावेज लेखन का कार्य कर रहे है एवं प्याउ भी चल रही है। इनके पिता श्री मगनलाल पुत्र देवीचन्द रावल व ग्राम पंचायत के साथ प्याउ व विश्राम गृह संचालन हेतु इकरार किया था एवं दिनांक 13.8.99 को प्याउ में जल सुविधा हेतु नल कनेक्शन के लिये मगनललाल रावल को अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं विद्युत कनेक्शन के लिये दिनांक 25.3.2003 को ग्राम पंचायत, रेवदर ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है। भू अभिलेख निरीक्षक, रेवदर की उक्त रिपोर्ट दिनांक 17.3.2016 में यह भी अंकित किया हुआ है कि दानदाता एवं ग्राम पंचायत, रेवदर की सहमति से श्री नवीन कुमार एवं राजुभाई पुत्र मगनलाल जी रावल इसका उपयोग कर रहे है। जबकि अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत संबंधित दस्तावेजों की छाया प्रतियों के अवलोकन से यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, रेवदर द्वारा प्रतीक्षालाय एवं प्याउ निर्माण तहसील परिसर, रेवदर का निर्माण कार्य अपना गांव अपना काम योजना के अर्न्तगत वर्ष 1995—96 में करवाया गया है।

चूंकि अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में उक्त सम्पति को ग्राम पंचायत, रेवदर के स्वामित्व की सम्पति बताया गया है। जबकि भू अभिलेख निरीक्षक, रेवदर की उक्त रिपोर्ट दिनांक 17.3.2016 के अनुसार उक्त प्याउ व विश्राम गृह ग्राम रेवदर के खसरा संख्या 981 किस्म सडक भूमि पर बने हुए है, जो राजस्व रेकर्ड में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से दर्ज है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत, रेवदर को प्रार्थी एवं संबंधित प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, रेवदर द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध जारी नोटिस क्रमांक [illegible]1/499 दिनांक 06.1.2022 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण [illegible]यत, रेवदर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थी [illegible] प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर [illegible] करे। निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:52:56 IST
Reason: SelfAttested

(के.आर.खौड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही